



बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संचिका संख्या — 15/औ०-01-40/2025 पटना, दिनांक —.....2026

श्रीमती श्वेता रानी, सहायक औषधि नियंत्रक, पटना ग्रामीण द्वारा दिनांक—24.02.2026 से 19.06.2026 तक कुल—116 दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०का०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—2589(25) दिनांक—11.12.2025 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन तथा बिहार सेवा संहिता के नियम—230 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

(सुरेन्द्र राय)

विशेष कार्य पदाधिकारी,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 15/औ०-01-40/2025 (ISA/ISA) पटना/दिनांक: 13.1.2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले० एवं ह०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०का०), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/सिविल सर्जन —सह— निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्रीमती श्वेता रानी, सहायक औषधि नियंत्रक, पटना ग्रामीण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।